



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269495
CG-DL-E-21012026-269495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 305]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 333(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, 'दादरा और नगर हवेली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (पैन: AAALT2225N)', दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा गठित एक बोर्ड को, निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, यथा:

(क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अन्तर्गत संगृहीत उपकर

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन अंतर्सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क; और

(ग) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि दादरा और नगर हवेली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड –

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 12/2026/फा. सं. 300196/52/2019-आईटीए-।]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव [सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष इसके आवेदन के वर्ष से] देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2026

S.O. 333(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Dadra and Nagar Haveli Building and Other Construction Workers Welfare Board (PAN: AAALT2225N)’, a Board constituted by UT Administration of Dadra and Nagar Haveli, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

- (a) Cess collected under the Building And Other Construction Workers’ Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996)
- (b) Registration fees under the Buildings And Other Construction Workers’ (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996); and
- (c) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Dadra and Nagar Haveli Building and other Construction Workers Welfare Board –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020, to 2023-2024 relevant for the financial years F.Ys. 2018-19 to 2022-23.

[Notification No. 12/2026/F. No. 300196/52/2019-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.